राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य उत्पादन प्रबन्धक केन्द्रीय कार्यशाला बगराना,जयपुर

ई–मेलः-rsrtc.cwsjaipur@gmail.com दुरभाष न0:– 9549656766

निविदा - प्रपत्र

निविदा प्रपत्र कमांक : प्र.उ.प्र./के.का./नि.-1370 दिनांकः 15.7.24 फोटो

निविदा प्रपत्र हेतु राशि जमा रूपये - 200/- रूपये (जी.ए.स.टी अतिरिक्त)
अक्षरे - दो सौ रूपये मात्र (जी.ए.स.टी अतिरिक्त)
नगद/रसीद संख्या......................
दिनांक...............................

मुख्य उत्पादन प्रबंधक

सामान्य विवरण

1	फर्म का नाम	
2	फर्म का स्थाई पता	
3	फर्म का दूरभाष न./ मोबाईल न./ई–मेल	
4	फर्म का पत्र व्यवहार का पता	
5	व्यवसायिक अनुभव व उसका विवरण	
6	फर्म का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति	
7	धरोहर राशि का निगम कोष में जमा राशि ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नम्बर	
8	देय लाईसेन्स शुल्क राशि रूपये (जी.ए.स.टी अतिरिक्त)	
9	निविदा दाता का बैंक खाता नम्बर	
10	अन्य आवश्यक विवरणः- पहचान पत्र, पैन नम्बर एवं फोटो खुली निविदा पपत्र के साथ संलग्न करनी है इसके बिना फार्म स्वीकार नही किया जावेगा।	

हस्ताक्षर निविदा दाता

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य उत्पादन प्रबन्धक केन्द्रीय कार्यशाला बगराना,जयपुर

ई-मेल:-rsrtc.cwsjaipur@gmail.com दुरभाष न0:- 9549656766

सीमित निविदा सूचना

केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर के परिसर में कार्यालय एवं कार्यशाला परिसर एवं परिसर स्थित शौचालयों की सम्पूर्ण सफाई हेतु निविदाए आमंत्रित की जाती हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैं

क. स.	कार्य का नाम	कार्मिको की संख्या	निविदा की अनुमानित लागत
I	केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर के समस्त परिसर की नियमित साफ सफाई करना	2 सफाईकर्मी	195000/-

इच्छुक निविदा दाता अपनी निविदाए इस कार्यालय में दिनांक 22.7.2024 को मध्यान 15:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन मध्यान 15:30बजे निविदा दाताओं व कमैटी के समक्ष खोला जायेगा।

नियम एवं शर्ते :-

1. सेवा प्रदाता के पास संबंधित निविदा मे कार्य का उचित अनुभव होना चाहिए।
2. सफाई कार्य के लिये प्रतिदिन कम से कम दो सफाईकर्मी सफाई कार्य हेतु उपलब्ध करवाने होंगे साथ ही सफाई कार्य प्रतिदिन सुबह 08:00 बजे से दोपहर 14:00 तक करना होगा।
3. कार्यालय परिसर की साफ सफाई से तात्पर्य सभी कमरों की झाडू, पोछा, शौचालयों की धुलाई एवं जालों इत्यदि की नियमित सफाई से है।
4. कार्यशाला परिसर की सफाई से तात्पर्य सम्पूर्ण कार्यशाला परिसर एवं परिसर में निर्मित सभी कार्यस्थलों की सफाई से है।
5. कार्यशाला परिसर में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए निगम प्रशासन उत्तरदायी नही होगा।
6. ईसआई एवं ईपीएफ कटौती एवं भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन सम्बन्धित द्वितीय पक्षकार के दायित्व में नही हो तो इसके लिए द्वितीय पक्षकार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

7. अनुबंधकर्ता फर्म के द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करने तथा आवटिंत कार्य सन्तोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करते हुये प्रतिभु राशि जब्त की जा सकती है।

8. निविदादाता को 4000/रूपये सुरक्षा राशि निविदा आवेदन के समय निगम कोष में जमा करानी होगी जिसे नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।

9. द्वितीय पक्षकार अपने सफाईकर्मीयो को देय भुगतान में से नियमानुसार भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर सम्बधित विभाग में जमा करायेगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर आगामी माह के देयको का भुगतान किया जावेगा।

10. द्वित्तीय पक्षकार को देय भुगतान मे से नियमानुसार समस्त करो की कटौती की जायेगी।

11. निविदा अनुबन्ध एक वर्ष के लिये किया जायेगा परन्तु द्वितीय पक्षकार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जायेगी।

12. भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होगे। जिनके प्रमाणिकरण उपरान्त ही राशी का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

13. द्वितीय पक्षकार का दैनिक रुप से के.का. जयपुर कि साफ.सफाई करनी होगी एंव कचरे का नियमित तोर पर कार्यशाला कमेटी की देख रेख मे निस्तारण करना होगा ।

14. कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में द्वितीय पक्षकार के आदमी को हुई हानि/चोट/मृत्यू आदि के लिये द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम प्रशासन किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए उतरदायी नही होगा।

15. द्वितीय पक्षकार को बिना अनुमति /कारण बताये कार्य से अनुपस्थित रहने पर 100 रुपये प्रति दिवस वसूले जायेंगे।

16. किसी विशेष परिस्थिती के कारण कार्य निलंबित रहने के कारण अनुबन्धकर्ता को यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

17. सफल निविदादाता के कार्मिकों द्वारा निगम सम्पत्ती को हुए नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी एवं निगम को हुई क्षति का पुर्नभरण ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

18. सफल निविदादाता को 10000/रूपये प्रतिभू/धरोहर राशि तुरन्त निगम कोष में जमा करानी होगी जिसे अनुबंध अवधि समाप्ति बाद लौटा दिया जायेगा जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

19. निगम को उक्त अनुबंध बिना नोटिस दिए समाप्त करने का अधिकार होगा परन्तु फर्म द्वारा अनुबंध समांप्त करने बावत एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा प्रतिभू राशि जब्त कर ली जायेगी।

20. निविदा दाता को दरें साफ शब्दों में देनी होंगी कटिंग या किसी प्रकार की ओवर राईटिंग की गई दर स्वीकार नहीं की जावेगी।

21. यदि अनुबंधकर्ता द्वारा उपरोक्त सफाई सम्बंधी कार्य निर्धारित समयावधि में या निगम की मांग के अनुसार नही करता है एव निगम को अपना कार्य सुचारु रुप से चलाने हेतु यदि किसी अन्य फर्म ये उक्त कार्य करवाना पडे तो अन्तर राशि की कटौती उसके बकाया भुगतान या सुरक्षा राशि से कर ली जावेगी।

22. अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये सफाई सम्बंधी कार्य के बदले भुगतान 30 कार्य दिवस में किया जावेगा इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

23. code of integrity

1. आर 0 टी0 पी0 पी0 एक्ट के प्रावधानों एवं वर्णित नियमों के अनुसार
2. सेवा के दोरान शिकायत निवारण आर 0 टी0 पी0 पी0 एक्ट के प्रावधानों एवं वर्णित नियमों के अनुसार –

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम	श्रीमान कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)
द्वितिय अपीलीय अधिकारीका पद नाम	श्रीमान प्रबंध निदेशक रा.रा.प.परिवहन निगम

24. अनुबंधकर्ता द्वारा निविदा से सम्बंधित कार्य किसी को सब्लेट नही किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कि जा सकेगी।

25. किसी भी निविदा का बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।

26. सफल निविदा कर्ता को कार्यदिश जारी होने के 07 दिवस मे निर्धारित प्रोफार्मा मे कार्य अनुबंध करना होगा एवं सफाईकर्मी उपलब्ध करवाने होगे, अन्यथा प्रतिभू/धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

27. अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल सफाईकर्मी कर्मचारी सदव्यवहारी एवं ईमानदार होगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस सम्बंध मे नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त सम्बंधित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुबधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पडती है तो उसकी वसूली सम्बंधित फर्म से की जावेगी।

28. अनुबंध के सबंध मे न्यायलय का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।

29. सफाई से सबंधित सभी सामान झाडू, पोछा, फिनाईल, बाल्टी, मग, ईत्यादी केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुबंधकर्ता ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर